न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2021/75

GCMS NO 2022/144

अपील संख्या – 45/21

अपील संख्या – 43/22

1. परसादी पुत्र हरदेव जाति माली निवासी मेलागेट करौली (मृतक)

   1/1. मु0केसर बेवा परसादी

   1/2. कैलाश पुत्र परसादी

   1/3. नांदू पुत्र परसादी

   1/4. सीताराम पुत्र परसादी

   1/5. रेखा पुत्री परसादी

   1/6. माया पुत्री परसादी सभी जातियान माली निवासी मेलागेट चटीकना हाल तीन दरवाजा बाहर करौली तहसील व जिला करौली

2. प्रहलाद पुत्र नारायण
3. रामदुलारी पुत्री नारायण
4. घीसी बेवा नारायण (हजफ)
5. धारा सिह पुत्र मांगीलाल
6. ब्रम्हा पुत्री मांगीलाल
7. पुष्पा पुत्री मांगीलाल सभी जातियान माली निवांसीयान मेलागेट चटीकना हाल तीन दरवाजा बाहर करौली तहसील व जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. कन्हैया पुत्र रामबक्श जाति माली निवासी सामान्य चिकित्सालय के पास सवाई माधोपुर (फौत)

   1/1. नलिनकांत

   1/2. सर्वानन्द

   1/3. दिलीप

   1/4. शकुन्तला पुत्र पुत्रियान कन्हैया जातियान माली निवासीयान सामान्य चिकित्सालय के सामने सवाई माधोपुर

2. रघुनाथ पुत्र भगवतीलाल जाति माली निवासी दंग मोहल्ला करौली
3. प्रेमलता पुत्री भगवतीलाल जाति माली निवासी पोदार कालेज के पास नवलगढ जिला झून्झूनू
4. अंगूरी पुत्री भगवतीलाल माली निवासी अग्रवाल कन्हैया महाविधालय के पास गंगापुर
5. सुशीला पुत्री भगवतीलाल जाति माली निवासी आदर्श कालोनी खेडली फाटक के पास कोटा
6. लक्ष्मी पत्नि लोकमनी जाति माली हाल निवासी जयपुर
7. धर्मेन्द्र पुत्र लोकमनी जाति माली हाल निवासी जयपुर(हजफ)
8. कुक्कू पुत्री लोकमनी जाति माली निवासी महकला गंगापुर सिटी
9. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील करौली

रेस्पो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:45:46 IST
Reason: SelfAttested

(अपीले विरूद्व मु0नं0 47/17 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दि0 21.6.21 एवं फाईनल डिक्री दिनांक 26.7.21 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री नवल किशोर शर्मा

अभिभाषक रेस्पो0 श्री रामजीलाल अग्रवाल

राजस्व अपील प्राधिकारी

दिनांक 03.06.2025

निर्णय

प्रस्तुत दोनो अपीले अपीलांट की ओर से विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.6.21 न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली पेश की है ।

प्रस्तुत दोनो अपीलो मे पक्षकारान एवं विवाद बिन्दु होने से दोनो अपीलो का निर्णय एक साथ समेकित कर किया जा रहा है।

प्रस्तुत दोनो अपीलो के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादीगण/रेस्पो0 द्वारा दावा बाबत घोषणा जैर दफा 88 एवं बंटवारा दफा 53 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि वादीगण के पूर्वज श्री रामवक्श पुत्र लक्ष्मण जाति माली निवासी दंग मोहल्ला करौली है जिन्हे रामवक्श मुन्शीजी के नाम से भी जाना जाता है उनके वंशावली के अनुसार वादीगण वंशज होने से एक मात्र उत्तराधिकारी है। वंशावली सजरा वाद पत्र मे मद न0 1 मे दर्ज किया है। प्रतिवादीगण के पूर्वज हरदेव उनके वंशावली के अनुसार प्रतिवादी न0 1 ता 7 एवं उत्तराधिकारी है। वंशावली वाद पत्र मे मद न0 1 मे दर्ज की है। वादीगण के पूर्वज रामवक्श के पिता लक्ष्मण का छोटा भाई हुलासी एक अलग व्यक्ति था जो प्रतिवादीगण के पूर्वज हरदेव का पिता हुलासी नही है तथा वादीगण के पूर्वज हुलासी से प्रतिवादीगण के पूर्वज हुलासी कई सालो पूर्व मर चुका था मे दोनो हुलसी अलग अलग व्यक्ति थे। कस्बा करौली मे विवादित आराजीयात खसरा न0 8466,8467,8468,8469,8470 कुल किता 5 कुल रकबा 4 बीघा 14 विस्वा वादीगण के पूर्वज रामवक्श एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज हरदेव की मुश्तर्का खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमे वादीगण के पूर्वज रामवक्श एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज हरदेव बराबर बराबर निस्फ–निस्फ हिस्से के मुस्तर्का खातेदार व मुस्तर्का कब्जेकाश्त मे रहे है। उनका स्वर्गवास सन 1961 के आस पास हो गया था लेकिन पक्षकारान मे से किसी भी पक्षकार ने आज तक उनके मरने के बाद राजस्व रिकार्ड मे उनके वंशजो के नाम नामा0 नही खुलवाया और वर्तमान मे दोनो ही पूर्वजो के नाम निस्फ निस्फ हिस्से के मुस्तर्का खातेदारी के रूप से चला आ रहा है इस साल प्रतिवादीगण मे से परसादी पुत्र हरदेव ने वरविनाय राजस्व रिकार्ड मे यह देखकर कि पक्षकारान के पूर्वज स्व0रामवक्श व स्व0हरदेव की बल्दियत के रूप मे तुलसी का नाम है समस्त विवादित जमीन को हडपने के इरादे से वादीगण के पूर्वज स्व0रामवक्श मुन्शीजी को हरदेव का खास भाई बताकर तथा निःसन्तान मरना बताकर तहसील करौली मे समस्त विवादित जमीन का प्रतिवादीगण की हकूक खातेदारी दर्ज कराने के लिए दिनांक 16.12.05 को पोशीदा कार्यवाही करने नामा0 संख्या 1806 द्वारा अवैध रूप से बनवाकर जमाबंदी मे विवादित भूमि की सम्पूर्ण खातेदारी प्रतिवादीगण ने अपने नाम के अवैध इन्द्राज करा लिये है जो वादीगण के हकूको पर प्रभावहीन व शून्य है। पक्षकारान के दोनो परिवारो मे तुलसी नाम का कोई व्यक्ति नही रहा है। प्रतिवादीगण के परिवार मे भी कोई व्यक्ति रामवक्श अथवा रामवक्श मुन्शीजी के नाम का कोई भाई व उसके परिवार मे इस नाम का कोई अन्य व्यक्ति नही रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा विवादित जमीन के संबंध मे उपरोक्त अवैध इन्द्राज हो जाने के पश्चात वरविनाय बदनियती प्रतिवादीगण वादीगण के मुश्तर्का कब्जे काश्त मे दिनाक 10.1.06 को आमादा फिसाद हो गये। वादीगण द्वारा मना करने पर ऐलानियां वोले की विवादित जमीन मे आपको कोई हकूक खातेदारी नही है। तब राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:35:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.1.06 को हुई थी। प्रतिवादीगण ने वादीगण के पूर्वज स्व0रामवक्श मुन्शीजी को अपने निःसंतान भाई की मृत्यु बताकर विवादित जमीन के संबंध मे दिनांक 21.12.05 को तहसील के कर्मचारियो से मिलकर नामा0 संख्या 1806 खुलवाकर जमीन से अवैध इन्द्राज करवा लिये है। जिससे हकूक वादीगण पर विपरीत प्रभाव पडता है तथा प्रतिवादीगण का विवादित जमीन का बंटवारा करने से भी इन्कार है। इसलिए दावा घोषणा एवं बंटवारा कराने का अधिकारी है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजीयात खसरा न0 8466 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा, 8467 रकबा 3 विस्वा, 8468 रकबा 1 विस्वा, 8469 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा, 8470 रकबा रकबा 17 विस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 4 बीघा 14 विस्वा वाके कस्बा करौली पर वादीगण के वंशमुल प्रतिवादीगण निस्फ निस्फ हिस्से के हकूक खातेदारी घोषित किये जावे तथा प्रतिवादी न0 8 को निर्देशित किया जावे कि उक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कराये जावे तथा विवादित जमीन का नियमानुसार बंटवारा कराया जाकर वादीगण की निस्फ निस्फ हिस्से की भूमि पर वाहिद खातेदारी कराई जाकर वाहिद कब्जा वादीगण कराने की डिकी वादीगण के हक मे दी जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पो0 का वाद पत्र दिनांक 26.6.21 को प्राथमिक डिकी किये जाने एवं दिनांक 26.7.21 को फाईनल डिकी किये जाने से व्यथित होकर अपीलांटगण/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिकी खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार तथा दस्तावेजी साक्ष्य के एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का बिना विश्लेषण एवं विवेचन किये विधि विरूद्व रूप से रेस्पो0 को विवादित भूमि का 1/2 का खातेदार घोषित कर बंटवारा बाबत डिकी एवं निर्णय पारित करने मे महान भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 द्वारा कतई गलत मिथ्या सजरा प्रस्तुत किया गया जिसे किसी भी साक्ष्य से साबित नही किया जबाब दावे मे अपीलांट द्वारा सही सजरा प्रस्तुत किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने प्रमाणित होते हुए भी इगनोर कर दिया। विवादित भूमि खसरा न0 8466,8467,8468,8469,8470 कुल किता 5 कुल रकबा 4 बीघा 14 विस्वा कस्बा करौली से रेस्पो0 का कोई संबंध वास्ता नही है उक्त भूमि अपीलाटगण के बुजुर्ग रामवक्श, हरदेव पिसरान तुलसी जाति माली की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। रेस्पो0 का कोई पूर्वज हुलासी नही था। रेस्पो0 परसादी के बाबा हुलासी उर्फ तुलसी थे तुलसी के चार लडके थे, खासा व मदन की करौली मे अकाल मृत्यु हो गई रामवक्श पुत्र तुलसी [illegible] अपीलांटगण के बाबा अविवाहित थे रामवक्श के पिता का नाम तुलसी उर्फ हुलासी था जबकि रेस्पो0 ने अपने सजरे मे रामवक्श को लक्ष्मण का पुत्र बताया है। वह रामवक्श [illegible] बाबा नही था। रेस्पो0 ने उक्त रामवक्श पुत्र लक्ष्मण को अपीलांटगण के बाबा रामवक्श पुत्र तुलसी उर्फ हुलासी को गलत रूप से अपना बाबा बताकर मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत कर उक्त दावा डिकी कराया है। जबकि दोनो रामवक्श अलग अलग व्यक्ति थे। अपीलांटगण के बाबा रामवक्श,हरदेव,चिरंजी,फैलू एवं ग्यारसी बेवा तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:55:46 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

पंचायती चौबे की माफी की भूमि को काश्त करते थे विवादित भूमि रेस्पो0 की शामलाती होना कतई मिथ्या एवं गलत है। केवल मात्र अपीलांटगण के बाबा रामवक्श व हरदेव की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है माफी जप्त होने के बाद अपीलांटगण के पूर्वज वाहिद खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि सेटलमेंट से रही है। रेस्पो0 का उक्त भूमि से कोई संबंध वास्ता नही है। अपीलांटगण ने ही विवादित भूमि मे अपना कुआ बनाया था तथा 1977 से बिजली की मोटर लगी हुई है। जिससे रेस्पो0 का कोई संबंध नही रहा है। सेटलमेंट से पूर्व उक्त भूमि माफी की थी। माफीदार चिरंजी,फेलू आदि चतुर्वेदी एवं पंचायती चौबे की थी जिसको अपीलाटगण के पूर्वज काश्त करते थे माफी जप्त होकर अपीलांटगण के पूर्वजो के नाम खातेदारी हुई तथा पर्चा सेटलमेंट अपीलाटगण के बाबा रामवक्श,हरदेव पुत्रान तुलसी के नाम बना तथा पर्चा सेटलमेंट मे उक्त खातेदार काश्तकार दर्ज है। रामवक्श एवं हरदेव के स्वर्गवास हो जाने पर अपीलाटगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि अपीलांटगण की खातेदारी मे दर्ज है। रेस्पो0 ने रामवक्श को जो कि अपना पुरखा बताया है उसके पिता के नाम लक्ष्मण है। जिसको रेस्पो0 स्वयं स्वीकार करते है। रामवक्श पुत्र लक्ष्मण के नाम उक्त भूमि कभी भी नही रही है। उनके नाम अलग भूमि है। जिसको रेस्पो0 ने छिपाया है। जबकि अपीलांटगण के बाबा रामवक्श तुलसी उर्फ हुलासी का पुत्र है जो समस्त दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है। रेस्पो0 के पुरखा भेरूलाल की भूमि को जोतते थे माफी जप्त होने पर उक्त भूमि रेस्पो0 के पूर्वज के नाम लगी। विरासत का नामा0 अपीलांटगण के नाम नियमानुसार खुला है। रामवक्श तथा हरदेव दोनो मॉ जाये भाई थे रामवक्श अविवाहित फौत हुआ था अर्थात तुलसी उर्फ हुलासी के चार पुत्रो मे से रामवक्श , खासा,मदन अविवाहित फौत हुऐ थे केवल हरदेव की शादी हुई थी। तथा अब एक मात्र अपीलांट वारिस है तथा वादी के बाबा रामवक्श का कोई भाई तुलसी अथवा हुलासी नही था। विवादित भूमि केवल अपीलांटस के बाबा रामवक्श तथा हरदेव की खातेदारी की भूमि है। अपीलांटस विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाटस द्वारा समस्त राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया था जिसमे रामवक्श एवं हरदेव पुत्रान तुलसी अपीलांटस के बाबा खातेदार दर्ज है। किसी भी रिकार्ड मे रामवक्श पुत्र लक्ष्मण दर्ज नही है। रेस्पो0 द्वारा जो लगान की रसीदे प्रस्तुत की है उसमे कही भी विवादित भूमि का नम्बर अंकित नही है। अदालत मातहत ने रामवक्श पुत्र हुलासी को रेस्पो0 का बाबा होना गलत माना है। जबकि रामवक्श के पिता का नाम लक्ष्मण था । रामवक्श पुत्र हुलासी अपीलाटस का बाबा था। अधिनस्थ न्यायालय ने सेटलमेंट मे हुलासी के स्थान पर तुलसी गलत दर्ज होना कतई गलत निष्कर्ष निकाला है। जबकि स्वयं रेस्पो0 के सजरे के अनुसार उनके बाबा रामवक्श के पिता का नाम लक्ष्मण दर्ज है। जिसका वह स्वीकार करते है। रेस्पो0 ने अपने सजरे मे हुलासी को देशाराम का पुत्र होना कतई गलत दर्ज किया है। रेस्पो0 ने अपने सजरे मे हुलासी को लक्ष्मण का भाई होना दर्ज किया है तो फिर अदालत मातहत ने अपने निर्णय मे रामवक्श पुत्र लक्ष्मण को रामवक्श पुत्र हुलासी का किसी प्रकार निष्कर्ष किस प्रकार निकाला जो अपने आप में विरोधाभासी है। रामवक्श लक्ष्मण का पुत्र था ना कि हुलासी का जो स्वयं रेस्पो0 का दावे तथा सजरे मे अंकित है तथा अदालत मातहत ने इस आधार पर विवादित भूमि अपीलांट एवं रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी की होना कतई विधि विरूद्व तथा दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत मानकर तनकी संख्या 1 का निर्णय कर भारी भूल की है। पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त राजस्व रिकार्ड से उक्त भूमि अपीलांटस एवं रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी की होना कतई सिद्व नही है। समस्त राजस्व रिकार्ड मे उक्त भूमि अपीलांटस के बाबा रामवक्श

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:55:46 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

,हरदेव पुत्र तुलसी के नाम का अंकन है। कही भी रामवक्श पुत्र लक्ष्मण अंकित नही है। जबकि रेस्पो0 के तथाकथित बाबा रामवक्श के पिता का नाम लक्ष्मण था तथा हुलारसी तथा देशाराम का कोई भी रिकार्ड पत्रावली पर प्रस्तुत नही है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 को विधि विरूद्व रूप से रेस्पो0 को 1/2 भाग की भूमि का खातेदार घोषित कर बंटवारा की प्राथमिक डिकी जारी करने मे महान भूल की है। जो काबिले खारिज है। महज वोटर लिस्ट के आधार पर किसी को भी खातेदार घोषित नही किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी इम्प्रोपर एवं इल्लीगल तथा विदाउट ज्यूरीडेक्शन होने से काबिले खारिज है। दावा मियाद बाहर था जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई फाईन्डिग नही दी गई है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिकी एवं फाईनल डिकी को अपास्त की जाकर दावा रेस्पो0/वादी खारिज फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे कानूनी तौर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की पत्रावली पर आये दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर कोई गुजांईश नही है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज योग्य है। रेस्पो0/वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत 24 दस्तावेजी सबूतो का कोई खण्डन नही हुआ है। प्रदर्श 18 गिरदावरी प्रहलाद द्वारा रामवक्श पुत्र हुलासी मुशीजी दर्ज होना स्वीकार किया है तथा प्रतिवादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादीगण रेस्पो0 के दस्तावेजो का कोई खण्डन नही होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे सभी तथ्यो का समावेश करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया गया है। हस्तगत प्रकरण मे यह बिन्दु तय होना है कि प्रतिवादी अपीलांट के परिवार मे कोई व्यक्ति रामवक्श नाम का नही रहा तथा पक्षकारान के परिवार मे तुलसी नाम का कोई व्यक्ति नही रहा। इस बात को साबित करने के लिए रेस्पो0 वादीगण ने प्रदर्श 3 प्रदर्श 4 प्रदर्श ह6 मतदाता सूचियां पेश की है। जिसमे अपीलांट प्रतिवादीगण के समस्त परिवारजन व पुरखा हरदेव का नाम दर्ज है लेकिन इसमे रामबक्श नाम का कोई व्यक्ति अपीलांट प्रतिवादी के परिवार मे नही है। प्रदर्श 6 मतदाता सूची 1961 की है जिसमे 22 परिवारजनो के नाम है। हरदेव का कोई भाई रामवक्श दर्ज नही है जबकि अपीलांट हरदेव का मरना सन 1974 मे दर्ज किया है तथा रामवक्श का करना सन 1970 मे दर्ज किया है। रेस्पो0 वादीगण ने प्रदर्श 3 मतदाता सूची 1970 की पेश की है। जिसमे रामबक्श अथवा सोना अपीलांट के परिवार मे दर्ज नही है। इससे यह साबित होता है कि अपीलांट के परिवार मे कोई व्यक्ति रामवक्श नही था। रेस्पो0 के पूर्वज रामवक्श को अपीलांट प्रतिवादीगण ने अपना होना तथा उर्फ सोना दर्ज करना जमीन हडपने के लिए दर्ज किया है तथा अपीलांट अपने जबाबदावा मे रामवक्श की उर्फियत सोना दर्ज किया है जबकि सर्मथन मे एक भी दस्तावेज पेश नही किया है। दावा पेश करने के बाद ही अपीलांट प्रतिवादीगण ने रामवक्श उर्फ सोना दर्ज किया है। रामवक्श उर्फ सोना अपीलांट के परिवार मे होता तो मतदाता सूची प्रदर्श 3 ,4 व 6 मे नाम होता और [illegible] परसादी ने प्रदर्श 12 ता 15 दर0 पेश करते समय दर्ज नही की बल्कि जो परिवा[illegible]ते हुए तीन तीन उर्फियत दुलसी उर्फ तुलसी उर्फ हुलासी मात्र रेस्पो0 वा[illegible] के लिए दिनांक 5.11.05 को अवैध नामा0 संख्या 1806 दिनांक 21.12.05 को तहसील कर्मचारी से मिलकर गलत मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराये जो नामा0 एक माह पूर्व के है। यानि सारी [illegible] कार्यवाही जमीन रेस्पो0 वादीगण को हडपने के लिए मात्र प्रदर्श 12 ता 15 के जरिये की है। इससे यह स्पष्ट है कि दर0 मृत्यु प्रमाण

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:55:46 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

पत्र मे रामवक्श के पिता के नाम के आगे तुलसी उर्फ दुलसी दर्ज किये है। जबकि रामवक्श उर्फियत सोना दर्ज नही की है। चारो प्रदर्शो मे तीन तीन उर्फियत साजिशी दर्ज की है जो अवैध है। दावा दायरी दिनांक 17.3.06 से पूर्व रामवक्श की उर्फियत सोना की भी दर्ज नही कराई है इससे स्पष्ट होता है कि रामवक्श अपीलांट के परिवार मे कोई व्यक्ति था ही नही। रेस्पो0 वादीगण ने प्रदर्श 7 व 8 भी पेश किये है जिनमे रामवक्श की उर्फियत सोना दर्ज नही है ना ही प्रदर्श 11 अपील मीमो मे रामवक्श की उर्फियत सोना दर्ज है तथा जबाब दावा मे कोई भाई रामवक्श नाम का हरदेव का ना होते हुए भी दर्ज किया है तथा उर्फियत सोना गलत दर्ज की है। तुलसी नाम का व्यक्ति भी दोनो पक्षकारान के परिवार मे नही है। उर्फियत दर्ज करने मात्र से यह नही माना जा सकता कि एक ही व्यक्ति के दो नाम है। डी डब्लू 2 मोती गवाह भी कहता है कि तुलसी नाम का कोई व्यक्ति मैने नही देखा। यह स्वीकृत तथ्य है कि रेस्पो0 के पूर्वज रामवक्श को मुशीजी के नाम से जाना जाता था। जो वादीगण रेस्पो0 के पूर्वज है। अपीलांट का यह कहना कि हुलासी वादीगण के परिवार मे नही है। उसके लिए रेस्पो0 वादीगण ने प्रदर्श 5 मतदाता सूची 1961 पेश की है। जिसमे रामचन्द्र के पिता का नाम व रामहेत के पिता के नाम के आगे हुलासी दर्ज है तथा रामवक्श मुंशी के चाचा हुलासी थे तथा रामवक्श मुंशी के पिता लक्ष्मण सेटलमेंट से काफी अर्सा पूर्व ही फौत हो गये और मोहल्ला दंग माली हुलासी के मतदाता सूची 1961 प्रदर्श 5 के क्रम संख्या 361 लगायत 382 तथा 400 पर दर्ज व्यक्ति हुलासी के वारिसान व परिवारजन तथा क्रम संख्या 377 पर रामहेत/हुलासी क्र.स. 400 पर रामचन्द्र/हुलासी दर्ज है तथा क्र.स. 388 पर रामवक्श मुंशी का नाम दर्ज है। रामवक्श मुंशी के चाचा हुलासी का बडा परिवार होने से मुशी जी रामवक्श को हुलासी का लडका समझते थे तथा डी डब्लू 2 मोंती गवाह अपनी जिरह मे सिबी के पिता का नाम रामचन्द्र बताता है जो प्रदर्श 5 के क्र.स. 400 की ताईद करता है। अपीलांट प्रतिवादीगण ने प्रदर्श 5 के विरोध मे एक शब्द भी नही कहा ना ही कोई दस्तावेज पेश किया। प्रदर्श 3, 4 व 6 मे ना तो रामवक्श दर्ज है ना ही सोना दर्ज है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण अपीलांट के परिवार मे रामवक्श नाम का कोई व्यक्ति नही था ना ही तुलसी था। मात्र एक ही व्यक्ति वादीगण/रेस्पो0 के पूर्वज रामवक्श रहे है। वादीगण रेस्पो0 ने प्रदर्श 18 सम्वत 2010–13 दस्तावेज पेश किया है जिसमे रामवक्श पुत्र हुलासी मुंशीजी दर्ज है इससे स्पष्ट होता है कि प्रदर्श 18 मे दर्ज मुशीजी को रामवक्श मुंशीजी के नाम से जाना जाता था। पिता के नाम के आगे हुलासी दर्ज है यानि मुंशीजी के चाचा हुलासी दर्ज हो गया जिसके बाबत अपीलांट प्रतिवादीगण ने एक भी बात का विरोध नही किया बल्कि डी डब्लू 1 प्रहलाद अपीलांट अपनी जिरह मे प्रदर्श 18 का सही होना बताता है और यहॉ तक कहता है कि रामवक्श को मुंशीजी के नाम से जाना जाता है। वादीगण/रेस्पो0 ने प्रदर्श 1 सम्वत 2060–63 जिसमे हरदेव व रामवक्श के नाम दर्ज है। रामवक्श रेस्पो0 का पूर्वज रहा है तथा अपीलांट के परिवार मे कोई व्यक्ति रामवक्श के नाम का नही रहा। प्रदर्श 16 सम्वत 2015 जमाबंदी पेश की है। जिसमे रामवक्श पुत्र तुलसी दर्ज है तथा हरदेव के नाम के आगे वल्दियत दर्ज नही है। जो खसरा न0 8470 रकबा 17 विस्वा ... है। रेस्पो0 वादीगण ने प्रदर्श 16 व 17 जमाबंदी पेश की है जिसमे पक्षकारान के परिवार मे तुलसी नाम का कोई व्यक्ति नही रहा जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की है। प्रदर्श 7 नामा0 दिनांक 17.11.83 को अपीलांट प्रतिवादीगण के पूर्वज नारायण व परसादी ने खुलवाने की कोशिश की जो संदेह के आधार पर खारिज हुआ। जिसकी अपील प्रदर्श 9 व 11 के करने पर निर्णय दिनांक 27.5.85

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:35:46 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

प्रदर्श 10 के जरिये रिमांड की गई जो दोबार जॉच करने के आदेश दिये गये। प्रदर्श 8 नामा0 संख्या 843 दिनांक 22.6.88 रेस्पो0 वादीगण ने पेश किये जिसमे गिरदावर ने विस्तृत जॉच करने पर पाया कि रामवक्श लाऔलाद फौत नही है उसके तीन लडके है जिनकी पूर्ण जानकारी कर नामा0 दर्ज करे जिसमे रामवक्श के वारिस लोकमणी,कन्हैया,भगवतीलाल के लडके रघुनाथ व फाबूली बेवा भगवतीलाल दर्ज है जो रेस्पो0वादीगण है। जिसकी प्रतिवादीगण ने कोई अपील नही की। इससे स्पष्ट है कि रेस्पो0 वादीगण के नाम आ जाने पर उसके विरूद्व अपीलांट प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया और चुप रहे जबकि उस खारिज नामा0 की जानकारी अपीलांट प्रतिवादीगण को रही है। रेस्पो0 वादीगण के पूर्वज रामवक्श ने हस्तलिखित तहरीर मे दिनांक 20.7.64 को प्रदर्श 20 तथा प्रदर्श 21 तथा दिनांक 21.7.64 को भेज जमा कराने की है जिसमे शामलाती होना दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि भूमि शामलाती रही है। रेस्पो0वादीगण ने प्रदर्श 22,23,24 भेज की रसीद पेश की है। जो रेस्पो0 वादीगण के पूर्वज रामवक्श द्वारा जमा कराने की विवादित आराजीयात की है। वादीगण/रेस्पो0 ने प्रदर्श 19 एक तहरीर दिनांक 2.8.65 भी पेश की है जो रेस्पो0 के पूर्वज रामवक्श द्वारा पडौसी अब्दुल हफीज से विवाद होने पर दी जिसमे लिखा है कि मेरी आराजी ख0न0 8470 रकबा 17 विस्वा वर्वाद हो गई है यानि उक्त आराजी वादीगण/रेस्पो0 के पूर्वजो तथा वादीगण रेस्पो0 की रही है। इस सभी दस्तावेजो से विधित है कि विवादित आराजीयात अपीलांट व रेस्पो0 की मुश्तर्का खातेदारी कब्जे काश्त की रही है। अपीलांट का कहना है कि रेस्पो0 के पूर्वज रामवक्श के पिता का नाम लक्ष्मण था तथा विवादित आरजीयात तुलसी उर्फ हुलासी के नाम है। हुलासी नाम का कोई व्यक्ति रेस्पो0 के परिवार मे नही रहा। इसके लिए रेस्पो0 वादीगण स्वयं वादपत्र मे कहकर आये है कि हुलासी रामवक्श वादीगण के पूर्वज का चाचा था इसलिए हुलासी का नाम बल्दियत मे दर्ज है और रेस्पो0 ने प्रदर्श 18 पेश की है जिसमे रामवक्श पुत्र हुलासी मंशीजी दर्ज है और मुंशीजी वादीगण रेस्पो0 के पूर्वज है तथा प्रदर्श 5 पेश की है जिसमे रामवक्श के काका हुलासी का बडा परिवार दर्ज है जिनका कोई खण्डन अपीलांट ने नही किया है। अपीलांट प्रतिवादीगण का यह कहना कि विवादित आराजीयात मे कुआ खुदवाया तथा मोटर लगी हुई है तो रेस्पो0 वादीगण ने कुआ वदिशा उत्तर मे प्रतिंवादीगण अपीलांट के मुश्तर्का हिस्सा मे होना बताया है तथा अपीलांट ने जमाबंदियो के अलावा कोई भी ऐसा दस्तावेज पेश नही किया है। इसलिए विवादित आराजीयात अपीलांट के पूर्वज हरदेव तथा रेस्पो0 के पूर्वज रामबक्श की रही है। रेस्पो0वादीगण ने दस्तावेज प्रदर्श 8 नामा0 संख्या 483 जिसमे वादीगण रेस्पो0 का सजरा दर्ज है तथा नोट अंकित है इसका कोई खण्डन अपीलांट/प्रतिवादीगण ने नही किया। प्रदर्श 8 ता 11 बाबत भी एक बात नही की है। अपीलांट ने तथ्यो को छिपाते हुए जबाब देही की है। उर्फियत गलत दर्ज किये है। प्रतिवादीगण अपीलांट के जबाबदावा के सजरा मे नारायण परसादी की बहन नारायणी को दर्ज नही किया है छिपाया है। नारायणी के धारा, ब्रम्हा,पुष्मा लडके लडकी है। नारायण की लडकी रामदुलारी का नाम भी दर्ज नही [illegible] द्वारा गलत पेश किया है। इन सभी तथ्यो से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद का बिन्दु यह है कि अपीलांट/प्रतिवादीगण के परिवार के कोई व्यक्ति रामबक्श नाम का रहा है या नही तथा पक्षकारान के परिवार मे तुलसी नाम का कोई व्यक्ति रहा है या नही रहा है। पत्रावली मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:35:46 IST
Reason: SelfAttested

उपलब्ध मतदाता सूची प्रदर्श 3 व 4 सन 1970 व प्रदर्श 6 मतदाता सूची सन 1961 मे अपीलांट/प्रतिवादीगण के समस्त परिवार व पुरखा हरदेव का नाम दर्ज है लेकिन इसमके रामवक्श नाम का कोई व्यक्ति प्रतिवादीगण/अपीलांट के परिवार मे नही है। प्रदर्श 6 मतदाता सूची 1961 जिसमे 22 परिवारजनो के नाम है हरदेव का कोई भाई रामवक्श दर्ज नही है। मतदाता सूची प्रदर्श 3 सन 1970 मे रामवक्श अथवा सोना प्रतिवादीगण/अपीलांट के परिवार मे दर्ज नही है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट/प्रतिवादीगण के परिवार मे रामवक्श नाम का कोई व्यक्ति नही था। अपीलांट/प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई ठोस दस्तावेज पेश नही किया है जिससे रामवक्श का उनके परिवार का होना साबित हो सके। यदि रामवक्श उर्फ सोना प्रतिवादीगण/अपीलांट के परिवार मे होता तो मतदाता सूची प्रदर्श 3 व 4 तथा 6 मे होता। प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रदर्श 11 मे भी रामबक्श उर्फ सोना दर्ज नही है तुलसी नाम का व्यक्ति भी प्रस्तुत दस्तावेजो मे दोनो पक्षो के परिवार मे नही होना स्पष्ट है। गवाह डी डब्लू 2 मोती द्वारा भी अपने साक्ष्य मे तुलसी नाम का कोई व्यक्ति नही देखने का जिरह मे स्वीकार किया है। रामवक्श को मुंशीजी के नाम से जाना जाता था यह गवाह प्रहलाद पी डब्लू 1 ने अपनी जिरह मे स्वीकार किया है। प्रदर्श 18 खसरा गिरदावरी मे भी रामवक्श पुत्र हुलासी मुंशीजी दर्ज है इससे स्पष्ट है कि रामबक्श को रामवक्श मुंशीजी के नाम से जाना जाता था। वादग्रस्त भूमि अपीलांट/प्रतिवादीगण एवं रेस्पो0/वादीगण के पूर्वज रामवक्श व हरदेव की संयुक्त खातेदारी की भूमि होना जमाबंदी सम्वत 2060 से 63 प्रदर्श 16 से होती है। नामा0 संख्या 843 दिनांक 22.6.88 प्रदर्श 8 की जॉच मे गिरदावर ने माना है कि रामबक्श लाऔलाद फौत नही हुआ है। उसके तीन लडके लोकमनी,कन्हैया, भगवतीलाल के लडके रघुनाथ व फाबुली बेवा भगवतीलाल दर्ज है। जो वादीगण/रेस्पो0 है। वह नामा0 संख्या 843 खारिज हो चुका है जिसकी जानकारी अपीलांट को भॅली भॉति होने पर भी अपीलांट /प्रतिवादीगण द्वारा उसकी कोई अपील नही की है। इससे सम्पूर्ण तथ्यो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण/रेस्पो0 के पूर्वज रामबक्श व अपीलांट/प्रतिवादीगण के के पूर्वज हरदेव की संयुक्त खातेदारी की भूमि होना साबित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र मे विधि अनुसार तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण किये जाने के उपरान्त वादी का वाद पत्र प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार से प्राप्त विभाजन स्कीम पर उभयपक्ष की सहमति प्रदान किये जाने पर वाद पत्र फाईनल डिकी किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वांरा विधि के सिद्वान्तो के अनुरूप ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपीले खारिज किये जाने योग्य है।

अतःदोनो अपीले अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली के प्रकरण संख्या 47/17 मे पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 21.6.21 व फाईनल डिकी दिनांक 26.7.21 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय की प्रति दोनो पत्रावलियो मे पृथक पृथक शामिल की जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:55:46 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर